




क्रमांक: 743/अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक : 11/07/2014

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की तृतीय* बैठक शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2014 को
अपरान्ह 3.00 बजे की विषयसूची

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 23.06.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
(पृ.क्र. 01 से 07 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 23.06.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
03. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 03.07.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
(पृ.क्र. 08 से 10 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
04. अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिए स्वीकृत शैक्षणिक पदों की सूचना ग्रहण करना।
(पृ.क्र. 11 से 12 तक)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
05. विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत सेटअप के विरुद्ध रिक्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही किए जाने के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 13 से 17 तक)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
06. वार्षिक परीक्षा 2014, नोडल के केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को प्रदाय अग्रिम की सूचना ग्रहण कर अनुमोदन करना।
(पृ.क्र. 18)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
07. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।



कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 744/अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक : 11/07/2014

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।



क्रमांक : 603 / अका. / का.प. / 2014

रायपुर, दिनांक : 28/06/2014

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 16.06.2014 अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया। स्थगित बैठक सोमवार दिनांक 23 जून, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए—

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. प्रो. सी.एल. पटेल	—	सदस्य
3. प्रो. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
4. प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
5. प्रो. भगवन्त सिंह	—	सदस्य
6. प्रो. बी.के. शर्मा	—	सदस्य
7. प्रो. मिताश्री मित्रा	—	सदस्य
8. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	—	सदस्य
9. डॉ. एम.आई. मेमन	—	सदस्य
10. डॉ. पी.सी. अग्रवाल	—	सदस्य
11. श्री एस.के. चक्रवर्ती	—	सदस्य
12. प्रो. दिनेश मारोठिया	—	सदस्य
13. श्री ललित सुरजन	—	सदस्य
14. श्री शिवरतन शर्मा	—	सदस्य
15. श्री श्रीचंद सुंदरानी	—	सदस्य
16. श्री नवीन मार्कण्डेय	—	सदस्य
17. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्यगण — विधानसभा सदस्य, सर्व श्री शिवरतन शर्मा, श्री श्रीचंद सुंदरानी, श्री नवीन मार्कण्डेय एवं संकायाध्यक्ष संवर्ग से डॉ. भगवन्त सिंह का कुलसचिव द्वारा गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 09.05.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09.05.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 09.05.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 09.05.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण किया गया।

03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.06.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.06.2014 के कार्यवृत्त निम्नलिखित निर्णय के साथ अनुमोदन किया गया:—

- (1) दानदाता के आवेदन के आधार पर विषय क्रमांक 04 पर निर्णय लिया गया कि एम.ए. अर्थशास्त्र में उषा पवन दुबे स्वर्ण पदक के स्थान पर एम.काम. में स्व. श्री पवन कुमार दुबे स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के लिए विनियम क्रमांक 158 का तदनुसार संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया।

- (2) विषय क्रमांक 08 संबंधित महाविद्यालय के प्रबंधन परिवर्तन संबंधी प्रकरण पर महाविद्यालय निरीक्षण समिति भेजकर निरीक्षण कराया जाए की उक्त महाविद्यालय के प्रबंध हस्तांतरण होने का कारण क्या है ? तथा इसके वर्तमान प्रबंधन समिति में कौन-कौन सदस्य है एवं संबंधित महाविद्यालय को लेने के बाद क्या योजना है एवं किस प्रकार संबंधित महाविद्यालय का संचालन सुव्यवस्थित रूप से करेंगे ?
- (3) शोध में गुणवत्ता के संबंध में दी गई अनुशंसा अन्य शोध उपाधियाँ यथा डी.एस.सी., डी.लिट्. आदि पर भी लागू होगी।

04. सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2013-14 हेतु कुल 43 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 12,50,000/- भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2013-14 हेतु कुल 43 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 12,50,000/- भुगतान की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

05. मुख्य परीक्षा 2014 के संचालन हेतु द्वितीय किस्त के रूप में 112 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 70,89,000/- भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : मुख्य परीक्षा 2014 के संचालन हेतु द्वितीय किस्त के रूप में 112 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 70,89,000/- भुगतान की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

06. बायोसाइंस अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव (Proposal for appointment of consultant for NCNR Project) के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ. एम.एल. नायक, सेवानिवृत्त प्राध्यापक को NCNR Project में एक वर्ष के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

07. देव संस्कृति कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नालॉजी, ग्राम-खपरी, धमधा रोड, दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : देव संस्कृति कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नालॉजी, ग्राम-खपरी, धमधा रोड, दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा अनुसार Dr. Suman Baliyan के नाम का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

01. संविदा नियुक्त 02 उप कुलसचिवों एवं वित्त नियंत्रक तथा लेखा अधिकारी की संविदा सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरांत संविदा सेवा अवधि में वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : (i) प्रस्ताव के अनुसार डॉ. जे.एल. गंगवानी, उप कुलसचिव (संविदा) एवं डॉ. आर.के. अग्रवाल, उप कुलसचिव (संविदा) की सेवाएं दिनांक 16.07.2014 से 1 वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, निरंतर करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

- (ii) श्री बी.सी. बिश्वास, वित्त नियंत्रक (संविदा) की सेवाएं दिनांक 01.08.2014 से 1 वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, निरंतर करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- (iii) श्री के.पी. यादव, लेखा अधिकारी (संविदा) की सेवाएं दिनांक 16.08.2014 से 1 वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, निरंतर करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- निर्णय क्रमांक (i) एवं (ii) के अनुमोदन हेतु प्रकरण छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा को पत्र प्रेषित किया जाए।

02. डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता को ग्रंथपाल पद से कार्य-मुक्त किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

03. डॉ. संजय तिवारी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला के द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में प्राप्त आवेदन पर विचार करना।

निर्णय : आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

04. महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में छात्र संघ के गठन से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 1 एवं 2 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में छात्र संघ के गठन से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 1 एवं 2 का अनुमोदन किया गया।

एक सदस्य द्वारा उक्त अध्यादेश में निर्वाचन का आधार मतदान के बजाय शैक्षणिक श्रेष्ठता को रखे जाने का सभी सदस्यों ने सहमति दी।

05. विश्वविद्यालय के भवनों की साफ-सफाई की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से कराने के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के भवनों की साफ-सफाई की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से कराने के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार, फर्म 'न्यू भारत सिक्यूरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपुर' से उनके द्वारा निविदा में उल्लेखित दर पर दिनांक 01 सितम्बर, 2014 से 31 अगस्त, 2015 तक 1 वर्ष के लिए अनुबंध करने हेतु अनुमोदन किया गया।

06. विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार, फर्म मेसर्स 'न्यू भारत सिक्यूरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपुर' से उनके द्वारा निविदा में उल्लेखित दर पर दिनांक 1 जुलाई, 2014 से 30 जून, 2015 तक 1 वर्ष के लिए अनुबंध करने हेतु अनुमोदन किया गया।

07. एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के मद से उपकरण क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के मद से उपकरण क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की निम्नानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गया:-

Equipment >500000.00

S. No.	Ref File No.	Name of Equipment	Firm	Price
1	1b	RT-PCR	M/s Invitrogen Bioservices Pvt. Ltd. Kolkata	1276500.00
2	2	Electrophoresis System & Gel Documentation	M/s BIO RAD, MUMBAI	703800.00
3	4	Super Critical Fluid Extraction Unit	M/S Waters India Pvt. Ltd., Secundrabad	4100118.00
4	5	LC-MS-MS System	M/s Thermo Fisher Scientific.	11799000.00
5	6	FTIR	M/S THERMO FISHER SCIENTIFIC, MUMBAI	1369650.00
6	7	HPLC	M/S SPINCO BIOTECH PVT. LTD. BANGLORE	2680700.00
7	8	NMR Spectrophotometer 400 MHz	M/S BRUKER INDIA SCIENTIFIC PVT. LTD. BANGLORE	24018750.00
8	10	AAS	M/S LAB INDIA ANALYTICAL INSTRUMENTS PVT. LTD.	2676465.00
9	13	Refrigerated High Speed centrifuge and Rotors	M/S KASLIWAL BROTHERS, RAIPUR	1237260.00
10	15	UV Spectrophotometer	M/S THERMO FISHER SCIENTIFIC, MUMBAI	572700.00

08. Consultant एवं NCNR Project Staff के लिये मानदेय एवं विशेष भत्ता स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : (1) NCNR प्रोजेक्ट के अंतर्गत Consultant के लिए निम्नानुसार मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति दी गई :-

S.No.	Status of consultant	Amount as consultancy fee (INR)	Maximum Limit (INR) month ⁻¹	Source of Payment
1	Rank of Professor or above	1000.00 day ⁻¹	25000.00	NCNR has allocation for consultancy under the head, "Manpower Budget"
2	Rank of Associate Professor or equivalent	750.00 day ⁻¹	17500.00	
3	Rank of Assistant Professor or equivalent	Rs. 500.00 per day	12500.00	

यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्य में मेडिकल (एम.बी.बी.एस., बी.ए. एम.एस., बी.एच.एम.एस. एवं पैथोलॉजिस्ट) कंसल्टेंट नियुक्त किया जाता है तो क्रम सं. 2 के अनुसार मानदेय प्रदान किया जावे।

(2) वनांचलों में सर्वेक्षण कार्य करने वाले कंसल्टेंट एवं प्रोजेक्ट स्टॉफ को फील्ड एलाउन्स रु. 200/- (TA/DA को छोड़कर) की स्वीकृति प्रदान की गई। चूंकि फील्ड में जाकर सैंपल लेने का कार्य मई से प्रारंभ है। अतः यह व्यवस्था मई, 2014 से प्रभावशील होगा।

09. वार्षिक परीक्षा 2014, नोडल के केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को प्रदाय अग्रिम की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा 2014, नोडल के केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को प्रदाय अग्रिम की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

10. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के acoustics सुधार, एयर कंडीशन एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम का कार्य डिपार्जिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के acoustics सुधार, एयर कंडीशन कार्य एवं पूर्व स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम को दुरुस्त कर प्रभावी करने संबंधी कार्य डिपार्जिट वर्क के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

द्वितीय पूरक विषयसूची

1. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2014 के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसा, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2014 के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

2. श्री रूपेश कुमार शर्मा, अनिवार्य सेवानिवृत्त, उपयंत्री के द्वारा कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 03.02.2014 के प्रकरण के संबंध में विचार करना।

निर्णय :

1. श्री रूपेश कुमार शर्मा के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में उन पर लगाए गए उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना से संबंधित सभी आरोप सिद्ध पाए गए हैं।

2. विभागीय जांच उपरांत उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 2208/सा.प्रशा./2013 दिनांक 17.05.2013 प्रेषित करते हुए उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बाबत उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदाय किया गया था।

जिसके जवाब में, श्री शर्मा के द्वारा दिनांक 01.06.2013 को पत्र प्रेषित करते हुए उन पर लगाये गये सभी आरोपों को अस्वीकार करते हुए पूर्वाग्रह से ग्रसित होना बताया गया है।

3. विश्वविद्यालय द्वारा विभागीय जांच में उन पर लगाये गये सभी आरोप सिद्ध पाये जाने के उपरांत, दण्ड निर्धारण के पूर्व, उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए उन्हें मानवीयता के आधार पर एवं विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 7605/सा.प्रशा./2013 दिनांक 07.12.2013 प्रेषित करते हुए एक अवसर प्रदाय किया गया था। जिसमें उनसे स्टाम्प पेपर पर एक वचनपत्र प्रदाय करने हेतु कहा गया था।

उक्त अवसर का लाभ न उठाते हुए, श्री शर्मा द्वारा दिनांक 13.12.2013 को पत्र प्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय की इस सदभावनापूर्ण मानवीयता के आधार पर की गई कार्यवाही को नियमविरुद्ध एवं असंवैधानिक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है।

4. तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 07.01.2014 को आदेश पारित करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 140/सा.प्रशा./2014 दिनांक 07.01.2014 के द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 57 (1)(e) के तहत तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालयीन सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त करने संबंधी आदेश दिये गये थे।

5. श्री शर्मा द्वारा कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील पर विचार करते हुए कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2014 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि- संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के पूर्व विधिक अभिमत लिया जावे।

उच्च न्यायालय के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में विधिक अभिमत प्रदाय करते हुए- विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही को वैधानिक निर्णय बताया गया है।

6. विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09.05.2014 में श्री रूपेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 03.02.2014 के संबंध में विचार करते हुए प्रकरण की समीक्षा हेतु 03 सदस्यीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

कार्यपरिषद् की उक्त बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार गठित 03 सदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 18.06.2014 को यह कहा गया कि- यदि वे इस संबंध में खेद प्रकट करना चाहते हैं तो लिखित रूप से सूचित कर सकते हैं और उक्त स्थिति में उनका स्पष्टीकरण और खेद प्रदर्शन संतोषप्रद पाया गया तो उनके विरुद्ध नरम दृष्टिकोण अपनाएं जाने की अनुशंसा की जा सकती है। साथ ही उन्हें यह भी सूचित किया गया कि- आज ही ऐसा लिखित आवेदन पत्र दें सकते हैं और यदि वे चाहें तो दो-तीन दिनों का अवसर भी दिया जा सकता है।

श्री रूपेश कुमार शर्मा ने समिति को सूचित किया कि- वे उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में उठाई गई आपत्तियों पर ही निर्णय चाहते हैं और किसी प्रकार का कोई आवेदन अथवा आश्वासन अलग से नहीं देना चाहते हैं।

7. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.06.2014 में श्री रूपेश कुमार शर्मा के द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि- श्री रूपेश कुमार शर्मा को पुनः एक और अवसर प्रदान करते हुए उन्हें अपने आचरण एवं व्यवहार में सुधार हेतु लिखित में एक वचनपत्र प्राप्त किया जावे।

साथ ही उन्हें यह भी अवगत करा दिया जावे कि- यदि वे लिखित में वचनपत्र नहीं देते हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश क्रमांक 140/सा.प्रशा./2014 दिनांक 07.01.2014 यथावत् रहेगा।

3. परीक्षा एवं अन्य आवेदन-पत्रों के ऑन-लाईन (Payment gateway) भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : प्रकरण पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

4. डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, विश्वविद्यालय फार्मसी संस्थान के प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने पत्र क्रमांक 2330/1926/2014/38.2 दिनांक 16.06.2014 के द्वारा छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर फार्मसी संस्थान की सेवाएं कुलाधिसचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपने संबंधी प्रस्ताव पर एक वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।


5. वित्त विभाग की इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000/- से वृद्धि कर रु. 30,000/- स्वीकृत करने के संबंध में विचार करना।


निर्णय : अमान्य किया गया।

6. पी-एच.डी. शोधार्थियों की सूची कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 01.03.2013 से 16.06.2014 तक पी-एच.डी. की उपाधि के लिए अधिसूचित सूची की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।


(डॉ.एस.के. पाण्डेय)
कुलपति
अध्यक्ष


(के.के. चन्द्राकर)
कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 604 / अका. / का.प. / 2014

रायपुर, दिनांक : 28 / 06 / 2014

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक / प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

8

क्रमांक : 7/4 /अका./वि.प./2014

रायपुर, दिनांक : 9 /07/2014

विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक गुरुवार, दिनांक 03.07.2014 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थिति हुए :-

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. प्रो. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ	—	सदस्य
3. प्रो. भगवंत सिंह	—	सदस्य
4. प्रो. सी.डी. अगासे	—	सदस्य
5. प्रो. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
6. प्रो. ओ.पी. चन्द्राकर	—	सदस्य
7. प्रो. एस.सी. नैथानी	—	सदस्य
8. प्रो. विभूति राय	—	सदस्य
9. प्रो. मिताश्री मित्रा	—	सदस्य
10. प्रो. के.के. घोष	—	सदस्य
11. प्रो. ए.के. गुप्ता	—	सदस्य
12. प्रो. शुक्ला बनर्जी	—	सदस्य
13. डॉ. पुलोक के. मुखर्जी	—	सदस्य
14. डॉ. श्रीनिवासन नरसिम्हन	—	सदस्य
15. डॉ. ए.टी. दाबके	—	सदस्य
16. डॉ. एस.के. पाटिल	—	सदस्य
17. प्रो. ए.के. पति	—	सदस्य
18. श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-

01. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 10.07.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि प्रदान की गई।

02. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 10.07.2013 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 10.07.2013 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण की गई।

03. DST के द्वारा स्वीकृत एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के द्वारा किये जा रहे कार्यों की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : DST के द्वारा स्वीकृत एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के द्वारा किये जा रहे कार्यों की सूचना ग्रहण किया गया।

04. विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अन्तर्गत शासन को भेजे गये प्रस्ताव (IDP) अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अन्तर्गत शासन को भेजे गये प्रस्ताव (IDP) का अनुमोदन किया गया।
05. विश्वविद्यालय द्वारा सेंटर फार बेसिक साइंस की स्थापना के लिए शासन को भेजे गये प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा सेंटर फार बेसिक साइंस की स्थापना के लिए शासन को भेजे गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
06. अध्यापक शिक्षण संस्थान के लिए पदों के सृजन हेतु भेजे गये प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : अध्यापक शिक्षण संस्थान के लिए पदों के सृजन हेतु भेजे गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
07. पर्यावरण विज्ञान विभाग के लिए शासन को पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : पर्यावरण विज्ञान विभाग के लिए शासन को पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
08. भौतिकी विभाग द्वारा एम.एस.सी. पाठ्यक्रम में Space Science एवं Nano Science का प्रश्नपत्र शामिल किए जाने संबंधी कार्यवाही सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : भौतिकी विभाग द्वारा एम.एस.सी. पाठ्यक्रम में Space Science एवं Nano Science का प्रश्नपत्र शामिल किए जाने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
09. सत्र 2013-14 में DST एवं FIST के द्वारा स्वीकृत नये प्रोजेक्ट की जानकारी सूचनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : DST एवं FIST के द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट की सूचना ग्रहण की गई।
10. ISRO के EDUSAT के माध्यम E-learning एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों से Connectivity के प्रस्ताव पर विचार करना।
निर्णय : ISRO के EDUSAT के माध्यम E-learning एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों से Connectivity के प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई।

11. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों का आटोमेशन करने की कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों का आटोमेशन करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही कार्यवाही की सूचना ग्रहण किया गया।

12. इंजीनियरिंग स्नातक छात्रों को एम.एस-सी. गणित में प्रवेश हेतु Bridge Course की अनिवार्यता पर विचार करना।

निर्णय : इंजीनियरिंग स्नातक छात्रों को एम.एस-सी. गणित में प्रवेश हेतु Bridge Course के माध्यम से एम.एस-सी. गणित में प्रवेश संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।


अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. Choice Based Credit System के पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु संकायाध्यक्षों एवं अध्ययन मण्डल के अध्यक्षों की संयुक्त बैठक आयोजित कर शीघ्र पाठ्यक्रम तैयार किया जावे।

02. शोध पत्रों के प्रकाशन में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रत्येक विषय में Peer Reviewed Journal/Referred Journal/Index Factor की सूची, संकायाध्यक्ष, अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष की समिति गठित कर तैयार किया जावे।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 715 / अका./ वि.प./ 2014

रायपुर, दिनांक : 9 / 07 / 2014

प्रतिलिपि:-

1. विद्या सम्बन्धी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
2. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
3. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



विषय:- अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिए स्वीकृत शैक्षणिक पदों की सूचना ग्रहण करना।

राज्य सम्पर्क अधिकारी व पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 5-5/2014/38-2 दिनांक 08.07.2014 के द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थान हेतु प्राध्यापक-01, सहप्राध्यापक-01 एवं सहायक प्राध्यापक के 10 पदों की अस्थायी स्वीकृति, इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि व्यय का वित्त पोषण स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के रूप में प्राप्त आय से किया जायेगा तथा इस हेतु वर्तमान एवं भविष्य में राज्य शासन द्वारा कोई अनुदान देय नहीं होगा।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिए उपरोक्तानुसार स्वीकृत शैक्षणिक पदों की सूचना/अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत।

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

12

क्रमांक एफ 5-5/2014/38-2
प्रति,

रायपुर, दिनांक 08 / 7 / 2014

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- पं. रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत 'अध्यापक शिक्षा संस्थान' हेतु शैक्षणिक एवं
अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1514/स्था./सा.प्रशा./2014 दिनांक 17.4.2014


राज्य शासन एतद् द्वारा बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु एन.सी.टी.ई. के मापदंडों के अनुरूप
निम्नलिखित 12 अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
1	2	3	4
1	प्राध्यापक	37400-67000+10,000 ए.जी.पी.	01
2	सहप्राध्यापक	37400-67000+9,000 ए.जी.पी.	01
3	सहायक प्राध्यापक	15600-39100+6000 ए.जी.पी.	10
		योग	12

2- उक्त पदों की सृजन की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि व्यय का वित्त पोषण
स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के रूप में प्राप्त आय से किया जायेगा तथा इस हेतु वर्तमान एवं भविष्य में राज्य
शासन द्वारा कोई अनुदान देय नहीं होगा।

3- यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक 2014-38-00316/बी-3/चार दिनांक 17.6.
2014 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डॉ. समरेन्द्र सिंह)

राज्य संपर्क अधिकारी व पदेन उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 08 / 7 / 2014

पृ.क्रमांक एफ 5-5/2014/38-2
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. मान.मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रवती भवन, नया रायपुर।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
8. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
9. जिला कोषालय अधिकारी रायपुर (छ.ग.)
10. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
आदेश फोल्डर।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



विषय:- विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत सेटअप के विरुद्ध रिक्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही किए जाने हेतु कार्यपरिषद के अनुमति बाबत।

छ.ग. शासन, वित्त तथा योजना विभाग के पत्र क्रमांक 170/बी-4/चार/2014 दिनांक 02.05.2014 के द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति में प्रतिबंध लगाया गया है तथा रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक है।

विश्वविद्यालय में रिक्त 52 शैक्षणिक एवं 81 अशैक्षणिक पदों को भरने की अनुमति हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2678/स्था./सा.प्रशा./2014 दिनांक 28.06.2014 के द्वारा सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेजा गया है।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग से उपरोक्त उल्लेखित शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों को भरने की अनुमति की प्रत्याशा में 52 शैक्षणिक एवं 81 अशैक्षणिक (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही किए जाने हेतु कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

(14)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक/१८५९/स्था./सा.प्रशा./2014

रायपुर, दिनांक २८/०६/२०१४

प्रति,

सचिव,
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के शैक्षणिक/अशैक्षणिक रिक्त पदों को भरने की अनुमति बाबत।

सन्दर्भ:- छ.ग. शासन, वित्त तथा योजना विभाग के पत्र क्रं./170/बी-4/चार/2014 दिनांक 02.05.2014.

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक है। विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के शैक्षणिक यथा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 52 पद रिक्त हैं तथा अशैक्षणिक प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 81 पद रिक्त हैं।

विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली प्रारंभ किया गया है। कर्मचारियों की कमी से विश्वविद्यालय का कार्य प्रभावित हो रहा है।

वर्ष 2015 में राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद (NAAC) टीम की विश्वविद्यालय में दौरा प्रस्तावित है। इस हेतु भी विश्वविद्यालय में शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों को भरा जाना नितांत आवश्यक है, ताकि विश्वविद्यालय को उच्च ग्रेड की प्राप्ति हो सके।

साथ ही अध्ययन/अध्यापन, परीक्षा कार्यों का संचालन, परीक्षा तथा परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने हेतु शिक्षकों/कर्मचारियों की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालयीन कार्यों का निश्चित समयावधि में संचालन एवं संपादन किया जाना आवश्यक होता है। शिक्षकों (52), अधिकारियों (10) एवं कर्मचारियों (71) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विश्वविद्यालय द्वारा भरे जाने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

आदेशानुसार

(के.के.चन्द्राकर)

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक २८/०६/२०१४

क्रमांक/१८५९/स्था./सा.प्रशा./2014

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग,
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.),
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा.)

छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त तथा योजना विभाग,
महानदी भवन-मंत्रालय
नया रायपुर

क्रमांक / 170 / बी-4 / चार / 2014

नया रायपुर, दिनांक 02.05.2014

प्रति,

शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़

विषय:- रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में
संदर्भ:- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक -

1. 547 / वित्त / बजट-1 / चार / 2007 दिनांक 18.09.2007
2. 712 / एफ-3 / 1 / 2004 / चार दिनांक 13.05.2010
3. 318 / एफ-3 / 1 / 04 / वित्त / ब-4 / चार दिनांक 18.02.2011
4. 1734 / वित्त / ब-4, दिनांक 24.11.2011.

वर्ष 2007 से पूर्व रिक्त शासकीय पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य थी। तत्पश्चात् वित्त विभाग के उपर्युक्त संदर्भित ज्ञापनों द्वारा उक्त अनिवार्यता को शिथिल किया गया था।

2. अब, राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के पदों को भरने से पूर्व वित्त विभाग की अनुमति पूर्ववत् आवश्यक होगी, भले ही पदों की स्वीकृति हेतु पूर्व में वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई हो।

3. यह निर्देश राज्य के शासकीय कार्यालयों के साथ-साथ निगम / मंडल / प्राधिकरण / अनुदान-प्राप्त स्वशासी संस्था के लिए लागू होंगी।

4. यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगी तथा आगामी एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगा।

(डी. एस. मिश्र)

अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

//2//

पृ. क्र. 17 / ब-4 / चार / 2014
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 02/05/2014

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. अपर मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्माल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(Signature)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



सीधी भर्ती के रिक्त "शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक" पदों का विवरण:-

क्रमांक	पदनाम	श्रेणी	रिक्त पद संख्या
शैक्षणिक पद		कुल	- 52
1	प्रोफेसर	प्रथम	09
2	एसोसिएट प्रोफेसर	प्रथम	23
3	असिस्टेंट प्रोफेसर	द्वितीय	20
अशैक्षणिक पद		कुल	- 81
4	संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद	प्रथम	01
5	संचालक, शारीरिक शिक्षा	प्रथम	01
6	डायरेक्टर/कन्ट्रोलर, कम्प्यूटर सेन्टर	प्रथम	01
7	सिनियर सिस्टम एनालिस्ट/ सिनियर सिस्टम प्रोग्रामर	प्रथम	01
8	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	प्रथम	01
9	लेखा अधिकारी	द्वितीय	01
10	सिस्टम प्रोग्रामर/सिस्टम एनालिस्ट	द्वितीय	02
11	ट्रेनिंग सह प्लेसमेंट आफिसर	द्वितीय	01
12	जनसम्पर्क अधिकारी	द्वितीय	01
13	वरिष्ठ तकनीकी सहायक/तकनीकी अधिकारी	तृतीय	02
14	उपयंत्री	तृतीय	01
15	शोध सहायक	तृतीय	02
16	निम्न वर्ग लिपिक	तृतीय	15
17	स्टेनोग्राफर	तृतीय	02
18	स्टेनो टायपिस्ट	तृतीय	01
19	इलेक्ट्रीशियन	तृतीय	01
20	ड्रायव्हर	तृतीय	01
21	लेब टेक्नीशियन	तृतीय	04
22	कम्पाउंडर	तृतीय	01
23	ट्रेसर	तृतीय	01
24	मिस्त्री	तृतीय	01
25	लायब्रेरी टेक्नीशियन	तृतीय	01
26	सांख्यिकी सहायक	तृतीय	01
27	डाटा एंट्री ऑपरेटर	तृतीय	01
28	लेब अटेंडेंट	चतुर्थ	01
29	चपरासी	चतुर्थ	05
30	अटेंडेंट	चतुर्थ	03
31	हॉस्टल अटेंडेंट	चतुर्थ	01
32	चौकीदार	चतुर्थ	11
33	प्लम्बर कम इंजिन ड्रायव्हर	चतुर्थ	01
34	केयर टेकर	चतुर्थ	01
35	हॉस्टल सर्वेन्ट	चतुर्थ	01
36	ग्राउन्डसमेन	चतुर्थ	01
37	माली	चतुर्थ	08
38	कुक	चतुर्थ	01
40	जमादार	चतुर्थ	02

विषय - वार्षिक परीक्षा 2014, नोडल के केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को प्रदाय अग्रिम की सूचना, ग्रहण करते हुए अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

वार्षिक परीक्षा 2014 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु 08 नोडल केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई गठित किये गये हैं -

1. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी।
2. शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर।
3. शासकीय छत्तीसगढ महाविद्यालय, रायपुर।
4. शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय, दुर्ग।
5. शासकीय द्विविजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव।
6. शासकीय कैकतीया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।
7. शासकीय विलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर
8. केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई, गोपनीय विभाग, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर।

प्रत्येक नोडल के केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को, मूल्यांकनकर्ताओं को नगद पारिश्रमिक भुगतान किये जाने हेतु तृतीय किस्त के रूप में रुपये 10,00,000 रु. (रुपये दस लाख मात्र) अग्रिम प्रदान किया है. इस प्रकार कुल 08 नोडल केन्द्रों को कुल रुपये 80,000 रु. (रुपये अस्सी लाख मात्र) अग्रिम प्रदान किया गया है.

कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्यपरिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 23.06.2014 का पालन प्रतिवेदन

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
	कार्यपरिषद् के नवनियुक्त सदस्यगण – विधानसभा सदस्य, सर्व श्री शिवरतन शर्मा, श्री श्रीचंद सुंदरानी, श्री नवीन मार्कण्डेय एवं संकायाध्यक्ष संवर्ग से डॉ. भगवंत सिंह का कुलसचिव द्वारा गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।		
01	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 09.05.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09.05.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।	
02	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 09.05.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 09.05.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण किया गया।	
03	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.06.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.06.2014 के कार्यवृत्त निम्नलिखित निर्णय के साथ अनुमोदन किया गया:- (1) दानदाता के आवेदन के आधार पर विषय क्रमांक 04 पर निर्णय लिया गया कि एम.ए. अर्थशास्त्र में उषा पवन दुबे स्वर्ण पदक के स्थान पर एम.काम. में स्व. श्री पवन कुमार दुबे स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के लिए विनियम क्रमांक 158 का तदनुसार संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया। (2) विषय क्रमांक 08 संबंधित महाविद्यालय के प्रबंधन परिवर्तन संबंधी प्रकरण पर महाविद्यालय निरीक्षण समिति भेजकर निरीक्षण कराया जाए की उक्त महाविद्यालय के प्रबंध हस्तांतरण होने का कारण क्या है ? तथा इसके वर्तमान प्रबंधन समिति में कौन-कौन सदस्य है एवं संबंधित महाविद्यालय को लेने के बाद क्या योजना है एवं किस प्रकार संबंधित महाविद्यालय का संचालन सुव्यवस्थित रूप से करेंगे ? (3) शोध में गुणवत्ता के संबंध में दी गई अनुशंसा अन्य शोध उपाधियों यथा डी.एस.सी., डी. लिट्. आदि पर भी लागू होगी।	(1) आदेश क्र. 667/अका./2014 दिनांक 05.07.2014 जारी किया गया। (2) पत्र क्र. 777/अका./दिनांक 17.07.2014 के द्वारा निरीक्षण समिति गठित की जा चुकी है। (3) अधिसूचना क्र. 787/अका./2014 दिनांक 17.07.2014 जारी की जा चुकी है।
04	सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2013-14 हेतु कुल 43 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 12,50,000/- भुगतान की सूचना ग्रहण करना।	सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2013-14 हेतु कुल 43 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 12,50,000/- भुगतान की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही हो चुकी है।
05	मुख्य परीक्षा 2014 के संचालन हेतु द्वितीय किस्त के रूप में 112 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 70,89,000/- भुगतान की सूचना ग्रहण करना।	मुख्य परीक्षा 2014 के संचालन हेतु द्वितीय किस्त के रूप में 112 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 70,89,000/- भुगतान की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही हो चुकी है।

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
06	बायोसाइंस अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव (Proposal for appointment of consultant for NCNR Project) के संबंध में विचार करना।	डॉ. एम.एल. नायक, सेवानिवृत्त प्राध्यापक को NCNR Project में एक वर्ष के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	आदेश क्र. 96/NCNR/PRSU/2014-15 दिनांक 10.07.2014 जारी किया गया।
07	देव संस्कृति कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नालॉजी, ग्राम-खपरी, धमधा रोड, दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।	देव संस्कृति कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नालॉजी, ग्राम-खपरी, धमधा रोड, दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा अनुसार Dr. Suman Baliyan के नाम का अनुमोदन किया गया।	पत्र क्र. 702/अका./2014 दिनांक 08.07.2014 को आदेश जारी की जा चुकी है।
पूरक विषय सूची			
01	संविदा नियुक्त 02 उप कुलसचिवों एवं वित्त नियंत्रक तथा लेखा अधिकारी की संविदा सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरांत संविदा सेवा अवधि में वृद्धि के संबंध में विचार करना।	(i) प्रस्ताव के अनुसार डॉ. जे.एल. गंगवानी, उप कुलसचिव (संविदा) एवं डॉ. आर.के. अग्रवाल, उप कुलसचिव (संविदा) की सेवाएं दिनांक 16.07.2014 से 1 वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, निरंतर करने की स्वीकृति प्रदान की गई। (ii) श्री बी.सी. विश्वास, वित्त नियंत्रक (संविदा) की सेवाएं दिनांक 01.08.2014 से 1 वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, निरंतर करने की स्वीकृति प्रदान की गई। (iii) श्री के.पी. यादव, लेखा अधिकारी (संविदा) की सेवाएं दिनांक 16.08.2014 से 1 वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, निरंतर करने की स्वीकृति प्रदान की गई। निर्णय क्रमांक (i) एवं (ii) के अनुमोदन हेतु प्रकरण छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा को पत्र प्रेषित किया जाए।	(1) आदेश क्र. 2903/स्था./प्रशा./2014 दिनांक 15.07.2014 एवं 2905/स्था./प्रशा./2014 दिनांक 15.07.2014 जारी की गई। (2) प्रक्रियाधीन है। (3) प्रक्रियाधीन है।
02	डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता को ग्रंथपाल पद से कार्य-मुक्त किए जाने के संबंध में विचार करना।	आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।	ग्रंथपाल द्वारा त्यागपत्र देने के संबंध में स्पष्ट जानकारी अप्राप्त है।
03	डॉ. संजय तिवारी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला के द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में प्राप्त आवेदन पर विचार करना।	आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।	डॉ. संजय तिवारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर जाने के संबंध में स्पष्ट जानकारी अप्राप्त है।
04	महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में छात्र संघ के गठन से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 1 एवं 2 के अनुमोदन पर विचार करना।	महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में छात्र संघ के गठन से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 1 एवं 2 का अनुमोदन किया गया। एक सदस्य द्वारा उक्त अध्यादेश में निर्वाचन का आधार मतदान के बजाय शैक्षणिक श्रेष्ठता को रखे जाने का सभी सदस्यों ने सहमति दी।	विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 24 वीं बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।


क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन																																																		
05	विश्वविद्यालय के भवनों की साफ-सफाई की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से कराने के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।	विश्वविद्यालय के भवनों की साफ-सफाई की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से कराने के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार, फर्म 'न्यू भारत सिक्यूरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपुर' से उनके द्वारा निविदा में उल्लेखित दर पर दिनांक 01 सितम्बर, 2014 से 31 अगस्त, 2015 तक 1 वर्ष के लिए अनुबंध करने हेतु अनुमोदन किया गया।	प्रक्रिया में है।																																																		
06	विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।	विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार, फर्म मेसर्स 'न्यू भारत सिक्यूरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपुर' से उनके द्वारा निविदा में उल्लेखित दर पर दिनांक 1 जुलाई, 2014 से 30 जून, 2015 तक 1 वर्ष के लिए अनुबंध करने हेतु अनुमोदन किया गया।	आदेश क्रमांक 801/विकास/सु.व्यव./2014 दिनांक 28.06.2014 जारी किया गया।																																																		
07	एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के मद से उपकरण क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	<p>एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के मद से उपकरण क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की निम्नानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गया:-</p> <p style="text-align: center;">Equipment >500000.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Ref File No.</th> <th>Name of Equipment</th> <th>Firm</th> <th>Price</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1b</td> <td>RT-PCR</td> <td>M/s Invitrogen Bioservices Pvt. Ltd. Kolkata</td> <td>1276500.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>Electrophoresis System & Gel Documentation</td> <td>M/s BIO RAD, MUMBAI</td> <td>703800.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td>Super Critical Fluid Extraction Unit</td> <td>M/S Waters India Pvt. Ltd., Secundrabad</td> <td>4100118.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>LC-MS-MS System</td> <td>M/s Thermo Fisher Scientific.</td> <td>11799000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6</td> <td>FTIR</td> <td>M/S THERMO FISHER SCIENTIFIC, MUMBAI</td> <td>1369650.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7</td> <td>HPLC</td> <td>M/S SPINCO BIOTECH PVT. LTD. BANGLORE</td> <td>2680700.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>8</td> <td>NMR Spectrophotometer 400 MHz</td> <td>M/S BRUKER INDIA SCIENTIFIC PVT. LTD. BANGLORE</td> <td>24018750.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>10</td> <td>AAS</td> <td>M/S LAB INDIA ANALYTICAL INSTRUMENTS PVT. LTD.</td> <td>2676465.00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>13</td> <td>Refrigerated High Speed centrifuge and Rotors</td> <td>M/S KASLIWAL BROTHERS, RAIPUR</td> <td>1237260.00</td> </tr> </tbody> </table>	S. No.	Ref File No.	Name of Equipment	Firm	Price	1	1b	RT-PCR	M/s Invitrogen Bioservices Pvt. Ltd. Kolkata	1276500.00	2	2	Electrophoresis System & Gel Documentation	M/s BIO RAD, MUMBAI	703800.00	3	4	Super Critical Fluid Extraction Unit	M/S Waters India Pvt. Ltd., Secundrabad	4100118.00	4	5	LC-MS-MS System	M/s Thermo Fisher Scientific.	11799000.00	5	6	FTIR	M/S THERMO FISHER SCIENTIFIC, MUMBAI	1369650.00	6	7	HPLC	M/S SPINCO BIOTECH PVT. LTD. BANGLORE	2680700.00	7	8	NMR Spectrophotometer 400 MHz	M/S BRUKER INDIA SCIENTIFIC PVT. LTD. BANGLORE	24018750.00	8	10	AAS	M/S LAB INDIA ANALYTICAL INSTRUMENTS PVT. LTD.	2676465.00	9	13	Refrigerated High Speed centrifuge and Rotors	M/S KASLIWAL BROTHERS, RAIPUR	1237260.00	क्रय आदेश जारी किया जा चुका है।
S. No.	Ref File No.	Name of Equipment	Firm	Price																																																	
1	1b	RT-PCR	M/s Invitrogen Bioservices Pvt. Ltd. Kolkata	1276500.00																																																	
2	2	Electrophoresis System & Gel Documentation	M/s BIO RAD, MUMBAI	703800.00																																																	
3	4	Super Critical Fluid Extraction Unit	M/S Waters India Pvt. Ltd., Secundrabad	4100118.00																																																	
4	5	LC-MS-MS System	M/s Thermo Fisher Scientific.	11799000.00																																																	
5	6	FTIR	M/S THERMO FISHER SCIENTIFIC, MUMBAI	1369650.00																																																	
6	7	HPLC	M/S SPINCO BIOTECH PVT. LTD. BANGLORE	2680700.00																																																	
7	8	NMR Spectrophotometer 400 MHz	M/S BRUKER INDIA SCIENTIFIC PVT. LTD. BANGLORE	24018750.00																																																	
8	10	AAS	M/S LAB INDIA ANALYTICAL INSTRUMENTS PVT. LTD.	2676465.00																																																	
9	13	Refrigerated High Speed centrifuge and Rotors	M/S KASLIWAL BROTHERS, RAIPUR	1237260.00																																																	

क्र.	विषय	निर्णय					पालन प्रतिवेदन
		10	15	UV Spectrophotometer	M/S THERMO FISHER SCIENTIFIC, MUMBAI	572700.00	
08	Consultant एवं NCNR Project Staff के लिये मानदेय एवं विशेष भत्ता स्वीकृति के संबंध में विचार करना।	(1) NCNR प्रोजेक्ट के अंतर्गत Consultant के लिए निम्नानुसार मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति दी गई :-					निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
		S.N o.	Status of consultant	Amount as consultancy fee (INR)	Maximum Limit (INR) month ⁻¹	Source of Payment	
		1	Rank of Professor or above	1000.00 day ⁻¹	25000.00	NCNR has allocation for consultancy under the head, "Manpower Budget"	
		2	Rank of Associate Professor or equivalent	750.00 day ⁻¹	17500.00		
		3	Rank of Assistant Professor or equivalent	Rs. 500.00 per day	12500.00		
यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्य में मेडिकल (एम.बी.बी.एस., बी.ए. एम.एस., बी.एच.एम.एस. एवं पैथोलॉजिस्ट) कंसल्टेंट नियुक्त किया जाता है तो क्रम सं. 2 के अनुसार मानदेय प्रदान किया जावे।							
(2) वनांचलों में सर्वेक्षण कार्य करने वाले कंसल्टेंट एवं प्रोजेक्ट स्टाफ को फील्ड एलाउन्स रु. 200/- (TA/DA को छोड़कर) की स्वीकृति प्रदान की गई। चूंकि फील्ड में जाकर सैंपल लेने का कार्य मई से प्रारंभ है। अतः यह व्यवस्था मई, 2014 से प्रभावशील होगा।							
09	वार्षिक परीक्षा 2014, नोडल के केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को प्रदाय अग्रिम की सूचना ग्रहण करना।	वार्षिक परीक्षा 2014, नोडल के केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को प्रदाय अग्रिम की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।					कार्यवाही हो चुकी है।
10	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के acoustics सुधार, एयर कंडीशन एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम का कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने के संबंध में विचार करना।	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के acoustics सुधार, एयर कंडीशन कार्य एवं पूर्व स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम को दुरुस्त कर प्रभावी करने संबंधी कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।					प्रक्रियाधीन है।
द्वितीय पूरक विषयसूची							
1	भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2014 के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसा, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2014 के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।					निर्णयानुसार कार्यवाही किया जा रहा है।

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
2	श्री रूपेश कुमार शर्मा, अनिवार्य सेवानिवृत्त, उपयंत्रि के द्वारा कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 03.02.2014 के प्रकरण के संबंध में विचार करना।	<p>1. श्री रूपेश कुमार शर्मा के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में उन पर लगाए गए उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना से संबंधित सभी आरोप सिद्ध पाए गए हैं।</p> <p>2. विभागीय जांच उपरांत उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 2208/सा.प्रशा./2013 दिनांक 17.05.2013 प्रेषित करते हुए उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बाबत उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदाय किया गया था। जिसके जवाब में, श्री शर्मा के द्वारा दिनांक 01.06.2013 को पत्र प्रेषित करते हुए उन पर लगाये गये सभी आरोपों को अस्वीकार करते हुए पूर्वाग्रह से ग्रसित होना बताया गया है।</p> <p>3. विश्वविद्यालय द्वारा विभागीय जांच में उन पर लगाये गये सभी आरोप सिद्ध पाये जाने के उपरांत, दण्ड निर्धारण के पूर्व, उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए उन्हें मानवीयता के आधार पर एवं विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 7605/सा.प्रशा./2013 दिनांक 07.12.2013 प्रेषित करते हुए एक अवसर प्रदाय किया गया था। जिसमें उनसे स्टाम्प पेपर पर एक वचनपत्र प्रदाय करने हेतु कहा गया था। उक्त अवसर का लाभ न उठाते हुए, श्री शर्मा द्वारा दिनांक 13.12.2013 को पत्र प्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय की इस सद्भावनापूर्ण मानवीयता के आधार पर की गई कार्यवाही को नियमविरुद्ध एवं असंवैधानिक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है।</p> <p>4. तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 07.01.2014 को आदेश पारित करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 140/सा.प्रशा./2014 दिनांक 07.01.2014 के द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 57 (1)(c) के तहत तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालयीन सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त करने संबंधी आदेश दिये गये थे।</p> <p>5. श्री शर्मा द्वारा कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील पर विचार करते हुए कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.03.2014 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि- संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के पूर्व विधिक अभिमत लिया जावे। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में विधिक अभिमत प्रदाय करते हुए- विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही को वैधानिक निर्णय बताया गया है।</p> <p>6. विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09.05.2014 में श्री रूपेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 03.02.2014 के संबंध में विचार करते</p>	पत्र क्र. 2734//सा.प्रशा./2014 दिनांक 03.07.2014 को भेजी जा चुकी है। (जवाब संलग्न है।)

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
		<p>हुए प्रकरण की समीक्षा हेतु 03 सदस्यीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया।</p> <p>कार्यपरिषद की उक्त बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार गठित 03 सदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 18.06.2014 को यह कहा गया कि— यदि वे इस संबंध में खेद प्रकट करना चाहते हैं तो लिखित रूप से सूचित कर सकते हैं और उक्त स्थिति में उनका स्पष्टीकरण और खेद प्रदर्शन संतोषप्रद पाया गया तो उनके विरुद्ध नरम दृष्टिकोण अपनाएं जाने की अनुशंसा की जा सकती है। साथ ही उन्हें यह भी सूचित किया गया कि— आज ही ऐसा लिखित आवेदन पत्र दें सकते हैं और यदि वे चाहें तो दो-तीन दिनों का अवसर भी दिया जा सकता है।</p> <p>श्री रूपेश कुमार शर्मा ने समिति को सूचित किया कि— वे उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में उठाई गई आपत्तियों पर ही निर्णय चाहते हैं और किसी प्रकार का कोई आवेदन अथवा आश्वासन अलग से नहीं देना चाहते हैं।</p> <p>7. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.06.2014 में श्री रूपेश कुमार शर्मा के द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि— श्री रूपेश कुमार शर्मा को पुनः एक और अवसर प्रदान करते हुए उन्हें अपने आचरण एवं व्यवहार में सुधार हेतु लिखित में एक वचनपत्र प्राप्त किया जावे।</p> <p>साथ ही उन्हें यह भी अवगत करा दिया जावे कि— यदि वे लिखित में वचनपत्र नहीं देते हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश क्रमांक 140/सा.प्रशा./2014 दिनांक 07.01.2014 यथावत् रहेगा।</p>	
3	परीक्षा एवं अन्य आवेदन-पत्रों के ऑन-लाईन (Payment gateway) भुगतान के संबंध में विचार करना।	प्रकरण पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	प्रक्रियाधीन है।
4	डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, विश्वविद्यालय फार्मैसी संस्थान के प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करना।	अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने पत्र क्रमांक 2330/1926/ 2014/38.2 दिनांक 16.06.2014 के द्वारा छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर फार्मैसी संस्थान की सेवाएं कुलाधिसचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपने संबंधी प्रस्ताव पर एक वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।	उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेजी जा रही है।

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
5	वित्त विभाग की इम्प्रेस्ट राशि रू. 10,000/- से वृद्धि कर रू. 30,000/- स्वीकृत करने के संबंध में विचार करना।	अमान्य किया गया।	-
6	पी-एच.डी. शोधार्थियों की सूची कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 01.03.2013 से 16.06.2014 तक पी-एच.डी. की उपाधि के लिए अधिसूचित सूची की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही हो चुकी है।


कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अका.) 0771-2262540 (कुलसचिव) फ़ैक्स -0771-2262811,2262607

क्रमांक-787 /अका./शोध/2014

रायपुर, दिनांक 17. 07. 2014

- अधिसूचना -

विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.06.2014 में लिये गए निर्णय तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.06.2014 के बिन्दु क्रमांक - 3 पर प्राप्त अनुमोदनानुसार अधिसूचित किया जाता है कि :-

1. शोध में गुणवत्ता के लिये पी-एच.डी. शोध प्रबंध (Thesis) जमा करते समय रिसर्च पेपर की अनिवार्यता के क्रम में Peer reviewed Journal/Referred Journal/Impact factor Journal या रविशंकर विश्वविद्यालय के शोध पत्रिका में प्रकाशित होने पर ही मान्य किया जावेगा। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र संबंधित विभागीय शोध समिति द्वारा दिया जावे। अन्य शोध उपाधियां जैसे डी.एस-सी., डी.लिट आदि पर भी यह लागू होगी।
2. रिसर्च सुपरवाइजर की मान्यता हेतु अध्यादेश-45 में उल्लेखित स्टैण्डर्ड जर्नल में प्रकाशित होने वाले शोध पत्र उनके शोध प्रबंध से बाहर की रचना होनी चाहिये। साथ ही रिसर्च सुपरवाइजर को भी शोध में गुणवत्ता की दृष्टि से बिन्दु क्रमांक - 1 के अनुरूप प्रकाशन होने पर शोध पत्रों के प्रकाशन का लाभ मिल सकेगा।
3. शोध निर्देशक के निर्देशन में एक सत्र में अधिकतम 2 शोधार्थियों के पंजीयन का प्रस्ताव शोध उपाधि समिति (RDC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक-788 /अका./शोध/2014
प्रतिलिपि -

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2014

1. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला (शोध केन्द्र), पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय एवं समस्त शोध केन्द्र को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।
3. प्रभारी कम्प्यूटर साईंस अध्ययन शाला को इस निवेदन के साथ कि संदर्भित अधिसूचना विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपया व्यवस्था करें।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. र. शु. वि. रायपुर को सूचनार्थ।

उपकुलसचिव (अका.)

17.7.14



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्र. 777 / अका. / 2014
प्रति,

रायपुर, दिनांक 17 / 07 / 2014

संचालक / प्राचार्य,
मां बहादुर कालारिन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय,
गुरुर,
जिला - बालोद (छ.ग.)

विषय : महाविद्यालय संचालन समिति परिवर्तित होने के संबंध में ।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 1075 / 14 गुरुर, दिनांक 20.03.2014

—000—


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.06.2014 में लिए गए निर्णय की अनुशंसा का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.06.2014 में निम्नानुसार किया गया है -

“संबंधित महाविद्यालय के प्रबंधन परिवर्तन संबंधी प्रकरण पर महाविद्यालय निरीक्षण समिति भेजकर निरीक्षण कराया जाए की उक्त महाविद्यालय के प्रबंध हस्तांतरण होने का कारण क्या है ? तथा इसके वर्तमान प्रबंधन समिति में कौन-कौन सदस्य है एवं संबंधित महाविद्यालय को लेने के बाद क्या योजना है एवं किस प्रकार संबंधित महाविद्यालय का संचालन सुव्यवस्थित रूप से करेंगे ?”

अतः उपरोक्त निर्णयानुसार निम्नानुसार निरीक्षण समिति गठित की जाती है -

1. डॉ. आर. प्रसाद, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर
2. डॉ. भगवंत सिंह, आचार्य, दर्शनशास्त्र, अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर


आदेशानुसार


उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्र. 778 / अका. / 2014
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक 17 / 07 / 2014

01. डॉ. आर. प्रसाद, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला, एवं डॉ. भगवंत सिंह, दर्शनशास्त्र, अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर, को इस आशय के साथ कि कार्यपरिषद् के उपरोक्त निर्णयानुसार निरीक्षण कर, निरीक्षण प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करें।
01. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्,
02. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)



Pt. Ravishankar Shukla University
National Center for Natural Resources
Raipur – 492010, (C.G.)

No. 96 /NCNR/PRSU/2014-15

Dated: 10.07.2014

डॉ. एम.एल. नायक सेवानिवृत्त प्राध्यापक जैविकी अध्ययनशाला पं.र.वि.वि. रायपुर को NCNR Project में 1 May 2014 से April 2015 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जाता है। इस दौरान प्रतिदिन कंसल्टेंट फीस 1000.00 रु. अधिकतम 25000.00रु. प्रतिमाह।

आदेशानुसार

Munim Kumar Patil
डायरेक्टर
Director
NCNR, PRSU, Raipur
7/7/14
07.07.14

No. 97 /NCNR/PRSU/2014-15

Dated: 10.07.2014

प्रतिलिपी:

1. डॉ. एम.एल. नायक, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला, पं.र.वि.वि. रायपुर।
2. कुलपति महोदय, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु।
3. कुलसचिव महोदय, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु।
4. वित्त नियंत्रक, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु।

Munim Kumar Patil
Director
NCNR, PRSU, Raipur
7/7/14
07.07.14

100

100

100



Pt. Ravishankar Shukla University
National Center for Natural Resources
Raipur – 492010, (C.G.)

No. 102 /NCNR/PRSU/2014-15

Dated: 17.07.2014

प्रति,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अकादमी)
पं.र.शु.वि.वि., रायपुर

विषय: डॉ. एम.एल. नायक सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं हेड की एन.सी.एन.आर. में कंसल्टेंट के पद पर नियुक्ति एवं उपकरण क्रय की सूचना बाबत।

संदर्भ: पं.र.शु.वि.वि. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23/06/2014 में विषय क्र. 06 एवं पूरक सूची 07 एवं 08 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पं.र.शु.वि.वि रायपुर की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23/06/2014 के विषय क्र. 06 में लिए गए निर्णय के अनुसार डॉ. एम.एल. नायक सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष जैविकी अध्ययनशाला में दिनांक 01/05/2014 से एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट के पद पर नियुक्ति किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न है) एवं पूरक सूची 07 एवं 08 के अनुरूप आदेश प्रेषित किया जा रहा है।

सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

धन्यवाद

M. Manoj Kumar Puri
भवदीय
Director
17/7/14
NCNR, P.S.U., Raipur



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



//आदेश//

क्रमांक/2903/स्था./सा.प्रशा./2014

रायपुर, दिनांक 15/07/2014

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9-16/2013/38-2 दिनांक 23.09.2013 के द्वारा डॉ. जे.एल. गंगवानी, सेवानिवृत्त स्नातकोत्तर प्राचार्य को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में उप कुलसचिव (संविदा) के पद पर दिनांक 16.07.2013 से संविदा सेवा में 01 वर्ष के लिए वृद्धि किया गया था। इसी अनुक्रम में 01 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 16.07.2014 से 01 वर्ष अथवा राज्य शासन द्वारा नियमित नियुक्ति होने पर जो भी पहले हो, तक के लिए संविदा सेवा अवधि में वृद्धि किया जाता है।

आदेशानुसार

(के.के.चन्द्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/2904/स्था./सा.प्रशा./2014

रायपुर, दिनांक 15/07/2014

प्रतिलिपि :-

1. कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.),
 2. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.),
 3. डॉ. जे.एल. गंगवानी, उप कुलसचिव,
 4. वित्त विभाग/अकादमिक विभाग,
 5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा.)

o/c



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



//आदेश//

क्रमांक/२१०५/स्था./सा.प्रशा./2014

रायपुर, दिनांक १५/07/2014

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9-16/2013/38-2 दिनांक 23.09.2013 के द्वारा डॉ. रविन्द्र कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त स्नातक प्राचार्य को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में उप कुलसचिव (संविदा) के पद पर दिनांक 16.07.2013 से संविदा सेवा में 01 वर्ष के लिए वृद्धि किया गया था। इसी अनुक्रम में 01 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 16.07.2014 से 01 वर्ष अथवा राज्य शासन द्वारा नियमित नियुक्ति होने पर जो भी पहले हो, तक के लिए संविदा सेवा अवधि में वृद्धि किया जाता है।

आदेशानुसार

(के.के.चन्द्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/२१०६/स्था./सा.प्रशा./2014

रायपुर, दिनांक १५/07/2014

प्रतिलिपि :-

1. कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.),
2. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.),
3. डॉ. रविन्द्र कुमार अग्रवाल, उप कुलसचिव,
4. वित्त विभाग/अकादमिक विभाग,
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा.)

१/८



पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)



क्रमांक 801/विकास/सु०व्यव०/2014

रायपुर, दिनांक 28.06.2014

प्रति,

मेसर्स न्यू भारत सिक्यूरिटी एवं डिटेक्टिव सर्विसेस,
5-140, W-3A रजत संकुल, बस स्टैण्ड के सामने,
गणेश पेड, नागपुर (फोन 0712 3252871, 09373101081).

स्थानीय पता - मेसर्स न्यू भारत सिक्यूरिटी एवं डिटेक्टिव सर्विसेस,
M-2, 161, कबीर नगर, रायपुर (मो. 9300377382)

विषय :- विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था 2014-15 के कार्य आदेश के संबंध में।

संदर्भ :- 01. इस वि० वि०की निविदा सूचना क. 143/विकास/सु.व्यय./2013 दिनांक- 24.02.2014

02. गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हुए अनुबंध दिनांक- 28 जून 2014

03. कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित दिनांक- 23.06.2014.

विषयान्तर्गत संदर्भ में सूचित किया जाता है कि इस विश्वविद्यालय परिसर की सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था हेतु निम्नानुसार कार्य आदेश दिया जाता है :-

क्रमांक	पद	सुरक्षाकर्मियों की संख्या		दर (प्रतिमाह-प्रति शिफ्ट) रु०
		दिन में	रात में	
01.	सुरक्षा गार्ड	14	18	5,741.00 + 177.39 (सेवा शुल्क) कुल योग -5918.39 (अक्षरी रु. पाँच हजार नौ सौ अठारह रुपये उन्चालीस पैसे मात्र) टैक्स/सेवा शुल्क सहित
02.	गनमैन	06	06	

नोट :-

01. अनुमनित सुरक्षा कर्मियों की संख्या दर्शाई गई है। यह संख्या विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा समय-समय पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
02. उपरोक्त कार्य आदेश दिनांक 01 जुलाई 2014 से 30 जून 2015 तक प्रभावशील होगा।
03. दर प्रतिमाह प्रति शिफ्ट माह के 30 दिनों की गणना के आधार पर होगी।
04. उपरोक्त दर प्रति दिन 08 घंटे की कार्य अवधि के लिए देय है।

कार्य अवधि निम्नानुसार शिफ्टों में करनी होगी :-

शिफ्ट	समय
प्रथम पाली	प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक
द्वितीय पाली	दोपहर 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक
तृतीय पाली	रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 तक

05. सुरक्षा व्यवस्था संबंधी संलग्न लाइसेंस का समय-समय पर नवीनीकरण की प्रति विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
06. कर्मियों को पुलिस वेरिफिकेशन तथा बायोडाटा शैक्षणिक योग्यता सहित सूची प्रस्तुत करनी होगी तथा गनमैन का लाइसेंस नवीनीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
07. सुरक्षा गार्ड के साथ में एक बेंटन रहना चाहिए।
08. अनुबंध में उल्लेखित शर्तों का पालन आवश्यक है।
09. आप इस विश्वविद्यालय के अधिकारी/कुलअनुशासक के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

क्रमांक 802/विकास/सु०व्यव०/2014

प्रतिलिपि :-

1. कुलअनुशासक/वित्त नियंत्रक/उपकुलसचिव प्रशासन
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं० रविशंकर शुक्ल वि० वि० रायपुर।

रायपुर, दिनांक 28-6-14

कुलसचिव
उपकुलसचिव (विकास)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक/२५३५/सा.प्रशा./२०१४

रायपुर, दिनांक ०३/०७/२०१४

प्रति,

श्री रूपेश कुमार शर्मा,
अनिवार्य सेवानिवृत्त उपयंत्री,
न्यू चंगोराभाठा, बाजार चौक,
निर्मल इंडस्ट्रीज के सामने, पानी टंकी के पास,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- कार्यपरिषद में लिए गए निर्णय के तारतम्य में पुनः एक अवसर दिये जाने बाबत।
संदर्भ:- आपके द्वारा कार्यपरिषद में प्रस्तुत अपील दिनांक ०३.०२.२०१४.

विषयांतर्गत लेख है कि कार्यपरिषद की बैठक दिनांक २३.०६.२०१४ के निर्देशानुसार आपको पुनः एक अवसर प्रदाय करते हुए सूचित किया जाता है कि- यदि आप अपने आचरण एवं व्यवहार में सुधार हेतु लिखित में एक वचनपत्र दिनांक ०८.०७.२०१४ तक प्रस्तुत करते हैं तो आपको दिए गए अनिवार्य सेवानिवृत्त संबंधी दण्ड के प्रकरण पर पुनः विचार किया जा सकता है। अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक १४०/सा.प्रशा./२०१४ दिनांक ०७.०१.२०१४ यथावत् प्रभावशील रहेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पु. क्रमांक/२५३५/सा.प्रशा./२०१४

रायपुर, दिनांक ०३/०७/२०१४

प्रतिलिपि :-

१. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप कुलसचिव (प्रशा.)

०१८



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक/२७३५/सा.प्रशा./2014

रायपुर, दिनांक ०३/०७/२०१४

प्रति,

श्री रूपेश कुमार शर्मा,
अनिवार्य सेवानिवृत्त उपयंत्री,
न्यू चंगोराभाठा, बाजार चौक,
निर्मल इंडस्ट्रीज के सामने, पानी टंकी के पास,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- कार्यपरिषद में लिए गए निर्णय के तारतम्य में पुनः एक अवसर दिये जाने बाबत।
संदर्भ:- आपके द्वारा कार्यपरिषद में प्रस्तुत अपील दिनांक ०३.०२.२०१४.

विषयांतर्गत लेख है कि कार्यपरिषद की बैठक दिनांक २३.०६.२०१४ के निर्देशानुसार आपको पुनः एक अवसर प्रदाय करते हुए सूचित किया जाता है कि- यदि आप अपने आचरण एवं व्यवहार में सुधार हेतु लिखित में एक वचनपत्र दिनांक ०८.०७.२०१४ तक प्रस्तुत करते हैं तो आपको दिए गए अनिवार्य सेवानिवृत्त संबंधी दण्ड के प्रकरण पर पुनः विचार किया जा सकता है। अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक १४०/सा.प्रशा./२०१४ दिनांक ०७.०१.२०१४ यथावत् प्रभावशील रहेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/२७३५/सा.प्रशा./2014

रायपुर, दिनांक ०३/०७/२०१४

प्रतिलिपि :-

१. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप कुलसचिव (प्रशा.)

०१८

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि.,
रायपुर (छ.ग.)


DLA
9/7/14

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 2734/सा.प्रशा./2014 रायपुर,
दिनांक 03-07-2014.


महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 2734/सा.प्रशा./2014 रायपुर,
दिनांक 03-07-2014 के आदेश के पालनार्थ यह वचन पत्र प्रस्तुत है कि मैं
हमेशा अपने सेवाकाल के दौरान अपने कार्यों का निष्पादन में अपने आचरण व
व्यवहार में, नियमों का पालन करूंगा।

भवदीय


रूपेश कुमार शर्मा 03/07/2014

निर्मल इंडस्ट्रीज के आगे,
बाजार रोड, विजय चौक,
वसुन्धरा नगर, चंगोरा भाठा,
रायपुर (छ.ग.)



R-3442
07-07-14



विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की तृतीय* बैठक शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2014 को

अपरान्ह 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.07.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
02. दिनांक 26.07.2014 को आयोजित स्वर्ण जयंती दीक्षांत समारोह में मंच पर बैठक व्यवस्था के संबंध में।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
03. दिनांक 26 जुलाई, 2014 को आयोजित विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती दीक्षांत (बीसवां) समारोह के अतिथियों की सूची के अनुमोदन के संबंध में।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
04. प्रतिभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम-बालसी, सराइपाली में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।
टीप : प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।
05. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसचिव

* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 785 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2014

रायपुर, दिनांक: 17/07/2014

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 11.07.2014 अपरान्ह 04.30 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
3.	प्रो. स्वर्णलता सर्राफ	-	सदस्य
4.	प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	-	सदस्य
5.	प्रो. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
6.	प्रो. ओ.पी. चन्द्राकर	-	सदस्य
7.	प्रो. एस.सी. नैथानी	-	सदस्य
8.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 03.06.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार स्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर	बी.बी.ए.	2014-15	<u>निरीक्षण तिथि :- 19.05.2014</u> BBA पाठ्यक्रम की स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया : 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. महाविद्यालय में परिनियम 28 के तहत कुल 03 शिक्षक प्रबंधन विषय के लिये नियुक्त किये गये हैं। जिसमें वर्तमान में दो शिक्षक कार्य कर रहे हैं। जिनका वेतन बैंक के माध्यम से किया जाता है। 3. महाविद्यालय में गैर-शैक्षणिक स्टाफ परिनियम 28 के तहत नियुक्त है। 4. महाविद्यालय में बी.बी.ए. पाठ्यक्रम में छात्र संख्या एवं Six सेमेस्टर्स की विषयवार पुस्तकों की कुल संख्या 540 है जो अपर्याप्त है। प्राचार्य ने बताया कि और पुस्तकें क्रय कर ली जायेगी।	विनियम 129 में उल्लेखित बिंदुओं के तहत पुनः निरीक्षण किया जावे।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
				बी.बी.ए. Ist year की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2010-11 में दी गई थी। अतः विनियम 129 के तहत कम से कम 5 वर्ष पूर्ण होने चाहिये जो वर्तमान सत्र 2014-15 में पूर्ण होंगे तदोपरान्त विचार किया जा सकता है।	
		बी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.सी. ए.	2014-15	Inspection Date : 04-06-2014 Inspection of the college was done on 04-06-2014, and noted the observations as under. <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastructure is adequate for both PGDCA and BCA course. 2. 53 Computers are available alongwith Campus license of Micosoft. 3. Ist bathc of BCA Started in 2011-12 session, however PGDCA started in 1994-95 session. 4. Library facilities are adequate. 5. Only 2 Faculty Members of computer science are appointed under section 28, which is adequate for PGDCA course, however additional regular faculty is required for BCA. 6. College is having only 20290 Sq. fit area. 	
		बी. कॉम. एवं एम. कॉम. (All Compulsory Subject)	2014-15	निरीक्षण तिथि :- 09.05.2014 विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 317/अका./2014 दिनांक 09.05.2014 के परिपालन में आज दिनांक 06 जून, 2014 को निरीक्षण समिति ने महाविद्यालय की स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया और पाया कि- <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय की अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की तुलना में स्थायी सहायक प्राध्यापकों की संख्या कम है। प्रवेशित छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर कम से कम 05 (पांच) और सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अधीन किये जाने की अनुशंसा की जाती है। 3. वाणिज्य विषय की -लगभग एक लाख की पाठ्यपुस्तकें/संदर्भित ग्रंथ और क्रय किये जाने की अनुशंसा की जाती है। 4. वाणिज्य विषय से संबंधित कम से कम 05 जर्नल एवं शोधपत्रिकाएं नियमित रूप से मंगाए जाने की अनुशंसा की जाती है। 	

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
2.	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महावि. आमदी नगर, हुडको भिलाई, जिला-दुर्ग	बी.बी.ए.	2014-15	बी.बी.ए. की स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत गैर-शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की गई है, भुगतान बैंक के माध्यम से होता है। 2. महाविद्यालय में बी.बी.ए. भाग-1 की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2005-06 में 30 सीट से दी गई थी, सत्र 2007-08 में सीट संख्या 30 से 70 कर दी गई। सत्र 2012-13 में सीट संख्या 100 दी गई। अतः स्थायी सम्बद्धता पाठ्यक्रम को पांच वर्ष पूर्ण हो गये हैं। लेकिन कितनी सीटों को मान्य किया जाने स्पष्ट नहीं है। 3. विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत केवल 02 शिक्षकों की नियुक्ति प्रबंध पाठ्यक्रम हेतु की गई है जो अपर्याप्त है। 4. 100 सीटों के लिये पुस्तकें कम है।	विनियम 129 में उल्लेखित बिंदुओं के तहत पुनः परीक्षण की जाए।

03. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2014 के निर्णय एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2014 में किये गये अनुमोदन के अनुसार रावतपुरा सरकार संस्थान द्वारा बी.एड्. पाठ्यक्रमों के लिए संचालित 04 महाविद्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण कर कार्यालयीन टीप संलग्न है।

निर्णय : रावतपुरा संस्थान द्वारा संचालित महाविद्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं टीप के अनुसार मात्र 1 महाविद्यालय में 04 शिक्षक परिनियम 28 के अंतर्गत हैं जो अपर्याप्त है। शेष 3 महाविद्यालय में परिनियम 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है। महाविद्यालय से परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति नहीं करने का कारण एवं औचित्य प्राप्त कर पुनः प्रस्तुत किया जाए तथा सभी महाविद्यालयों का निरीक्षण कराया जाए।

04. सत्र 2014-15 के लिये एन.सी.टी.ई. द्वारा निम्नलिखित 3 नये महाविद्यालय जिसमें दो बी.एड्. एवं 1 बी.पी.एड्. की स्वीकृति निम्नानुसार दी गई है।

4.1. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्लॉट नं.-629, 1156, 1667, 1562, 1561, 1668, ग्राम/पोस्ट-पचेड़ा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर को सत्र 2014-15 से बी.पी.एड्-100 सीट के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

4.2. रवि शंकर ग्लोबल एजुकेशन कालेज, प्लॉट नं.-131/9-10-1, ग्राम-धनेली, पोस्ट-माना कैम्प, तह.-धरसीवां, जिला-रायपुर 492015 को सत्र 2014-15 से बी.एड्-100 सीट के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

4.3. श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-581/2, ग्राम-पचेड़ा, पोस्ट-कुरु, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर- 493661 छत्तीसगढ़ को सत्र 2014-15 से बी.एड-100 सीट के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है बशर्ते सम्बद्धता आदेश जारी करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के अन्तर्गत प्रत्येक बिंदुओं की पूर्ति के संबंध में एक बार पुनः निरीक्षण करा ली जावे।

05. दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर में संचालित बी.एस-सी. प्रथम वर्ष (आई.टी.), डी.सी.एच., पी.जी.डिप्लोमा इन आई.टी., बी.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स), एम.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स), सर्टिफिकेट एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा पाठ्यक्रम की कक्षाओं को सत्र 2013-14 से बंद किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर में संचालित बी.एस-सी. प्रथम वर्ष (आई.टी.), डी.सी.एच., पी.जी.डिप्लोमा इन आई.टी., बी.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स), एम.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स), सर्टिफिकेट एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा पाठ्यक्रम की कक्षाओं को सत्र 2013-14 से बंद किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

06. शासकीय महाविद्यालय, पंडरिया की सम्बद्धता पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय सम्बद्धता दिये जाने पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय महाविद्यालय, पंडरिया, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध था। राज्य शासन द्वारा जिला पुनर्गठन करने के कारण अब पंडरिया को कबीरधाम जिला में सम्मिलित किया गया है, जिसके कारण, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्र. 5391/2942/2013/38-2 दिनांक 03.10.2013 एवं बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर का पत्र क्र. 615/अका./2014 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा शासकीय महाविद्यालय, पंडरिया को बिलासपुर विश्वविद्यालय से स्थानांतरित कर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

07. पूर्व संचालित निम्नलिखित महाविद्यालयों में सत्र 2014-15 के लिये नये विषय एवं सीट वृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना :-

- (1) विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
- (2) दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर
- (3) विवेकानंद महाविद्यालय, के.के. रोड, मौदहापारा, रायपुर
- (4) देव संस्कृति महाविद्यालय, जेवरा ग्राम खपरी, जिला-दुर्ग
- (5) अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर

निर्णय : (1) विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर को शासन के पत्र क्र. 1990/1385/ 2012/38-2 दि. 02.06.2012 के द्वारा नवीन विषय - D.C.A. 30 सीट की अनुमति दी गई थी।

सत्र 2014-15 से D.C.A. (30 सीट) प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाती है। शासन से दिनांक 02.06.2012 को जारी किये गए अनुमति Continue करने के संबंध में परीक्षण कर कार्यवाही की जावे।

- (2) दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर को शासन के पत्र क्र. 1029 / 1391 / M / 2012 / 38-2 दिनांक 10.05.2012 के द्वारा सीट वृद्धि- बी.कॉम.-60 सीट (120+60), बी.कॉम (कम्प्यूटर) -60 सीट (100+60), बी.बी.ए.- 60 सीट (80+60), बी.सी.ए.-30 सीट (60+30) की अनुमति दी गई थी।

सत्र 2014-15 से सीट वृद्धि- बी.कॉम.-60 सीट (120+60), बी.कॉम (कम्प्यूटर) -60 सीट (100+60), बी.बी.ए.- 60 सीट (80+60), बी.सी.ए.-30 सीट (60+30) प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाती है। शासन से दिनांक 10.05.2012 को जारी किये गए अनुमति Continue करने के संबंध में परीक्षण कर कार्यवाही की जावे।

- (3) विवेकानंद महाविद्यालय, के.के. रोड, मौदहापारा, रायपुर का नवीन विषय/सीट वृद्धि संबंधी प्रस्ताव के संबंध में पुनः निरीक्षण किया जाए।

- (4) देव संस्कृति महाविद्यालय, जेवरा ग्राम खपरी, जिला-दुर्ग को शासन के पत्र क्र. 1801/1380/2021 दिनांक 16.05.2012 के द्वारा नवीन पाठ्यक्रम - (1) पी.जी.डी.सी.ए.-30, (2) बी.ए.-60 हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र की अनुमति दी गई थी।

सत्र 2014-15 से (1) पी.जी.डी.सी.ए.-30, (2) बी.ए.-60 हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाती है। शासन से दिनांक 16.05.2012 को जारी किये गए अनुमति Continue करने के संबंध में परीक्षण कर कार्यवाही की जावे।

- (5) अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती रायपुर को शासन के पत्र क्र. 187 दिनांक 21.06.2011 एवं पत्र क्र. 2065 दिनांक 07.06.2012 के द्वारा नवीन पाठ्यक्रम - MSW- 20 Seat (2013), BBA-30 Seat (2011-12), DCA-30, सीट वृद्धि- B.Com.-30 seat (64+30) की अनुमति दी गई थी।

सत्र 2014-15 से नवीन पाठ्यक्रम - MSW- 20 Seat (2013), BBA-30 Seat (2011-12), DCA-30, सीट वृद्धि- B.Com.-30 seat (64+30) प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाती है। शासन से दिनांक 21.06.2011 एवं 07.06.2012 को जारी किये गए अनुमति Continue करने के संबंध में परीक्षण कर कार्यवाही की जावे।

08. सत्र 2014-15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम
1	सेठ सुगनचंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग
2	कालिन्दी महाविद्यालय स्वाती एजुकेशन सोसायटी लालपुर रायपुर
3	सांत्वना मनोपचार एवं अनुसंधान संस्थान पीजी इंस्टीट्यूट आफ बिहेवियरल एण्ड मंडिकल साइंसेस, रायपुर
4	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, समता कॉलोनी, रायपुर
5	राम कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 94 सुंदर नगर, रायपुर
6	प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-207, 2011, स्ट्रीट मेन रोड, पो.-उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
7	प्रतिभा कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम-बालसी, सराईपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
8	सैंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा), जिला-रायपुर (छ.ग.)
9	शास. पं. ज.ला.ने. कला एवं वाणिज्य महा. बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
10	भिलाई मैत्री महाविद्यालय, रिसाली, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
11	मां बहादुर कलारिन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, गुरुर (बालोद) जिला-बालोद (छ.ग.)
12	सेठ आर.सी.एस. विधि महा. दुर्ग (छ.ग.)
13	सेठ बद्रीलाल खण्डेलवाल शिक्षा महाविद्यालय, गौरवपथ, उतई रोड, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)
14	चंद्रपाल डडसेना शास. महा. पिथौरा, जिला-महासमुंद
15	साई महाविद्यालय, स्ट्रीट-69, सेक्टर-6, भिलाई जिला-दुर्ग
16	कचना धुरवा, महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला-रायपुर (छ.ग.)
17	आर.के.एस. महाविद्यालय, तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)


- 18 सम्राट अशोका कॉलेज आफ इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी, कवर्धा, जिला-कबीरधाम
- 19 महात्मा गाँधी महाविद्यालय स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)
- 20 आई.बी.टी. कालेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बेरला रोड, गिरहोला, अहिवारा, नदिनी नगर, दुर्ग
- 21 स्व. जयदेव सतपथी शास. महाविद्यालय, बसना, जिला-महासमुंद
- 22 पं. के.एल.एस. विधि महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)
- 23 विध्यवासिनि महाविद्यालय सनौद-बोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)
- 24 सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट कोपेडीह रोड, देवोदा, राजनांदगांव
- 25 शिक्षा स्नातक महाविद्यालय मांदर, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 26 दिशा कालेज आफ साइंस एंड कामर्स, प्लॉट नं.-788/1/2, 792/3, दिशा पार्क रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)
- 27 विवेकानंद शिक्षा संस्थान, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.)
- 28 शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद
- 29 गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर
- 30 कल्याण विधि महाविद्यालय, भिलाई नगर
- 31 रायल कालेज, लालबाग, राजनांदगांव
- 32 शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
- 33 डी.ए.व्ही. मॉडल कॉलेज, आर्य नगर, दुर्ग

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2014-15 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. पी-एच.डी. में प्रवेश हेतु समस्त शोध निर्देशकों एवं विभागीय शोध समिति द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नीति का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित किया जाए।
02. एम.फिल. प्रवेश परीक्षा, 2014 माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाए।
03. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित वार्षिक परीक्षा पद्धति के स्नातकोत्तर परीक्षाओं में श्रेणी सुधार के प्रावधान को छात्र के परीक्षा उत्तीर्ण, अकादमी वर्ष से आगामी पाँच वर्ष के लिए सीमित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 786 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2014

रायपुर, दिनांक: 17/07/2014

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

दिनांक 26.07.2014 को आयोजित स्वर्ण जयंती दीक्षांत समारोह में मंच पर बैठक व्यवस्था के संबंध में।

टीप :- अतिरिक्त परिनियम-1 के कंडिका-13 के अनुसार प्रत्येक संकायों में उपाधि धारकों को संबंधित संकायाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। कुल 176 से अधिक शोधार्थियों ने पी-एच.डी. की उपाधि हेतु पात्र घोषित किये गये हैं। जबकि कार्यक्रम के लिए एक घंटे का समय निर्धारित है। अतः प्रत्येक संकाय के संकायाध्यक्षों द्वारा संकायवार प्रस्तुतीकरण में अधिक समय लग सकता है।

अतः समयान्तरण के कारण संकायाध्यक्षों की ओर से प्रस्तुतीकरण कुलसचिव के द्वारा किया जाना है।

इसी प्रकार मंच पर सुरक्षा की दृष्टि से संकायाध्यक्षों एवं कार्यपरिषद् सदस्यों की बैठक व्यवस्था मंच पर न करते हुए प्रोसेशन में शामिल अन्य सदस्यों के साथ मंच के सामने किया जाना है।

प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ।

दिनांक 26 जुलाई, 2014 को आयोजित विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती दीक्षांत (बीसवां) समारोह के अतिथियों की सूची के अनुमोदन के संबंध में।

शनिवार
विश्वविद्यालय का बीसवां दीक्षांत-समारोह दिनांक 26 जुलाई, 2014 को अपराह्न 03:30 बजे से 04:30 विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। माननीय श्री प्रणब मुखर्जी, भारत के राष्ट्रपति, ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के लिए अपनी सहमति प्रदान की है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री बलराम दास टंडन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे एवं अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। विशिष्ट अतिथि माननीय श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन होंगे।

विश्वविद्यालय दीक्षांत-समारोह के लिए अतिरिक्त परिनियम-1 में उल्लेखित अतिथियों के अलावा मंच पर आसीन होने के लिए सर्वश्री रमेश बैस, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद, रायपुर; श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन; श्री राजेश मूणत, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन को विशिष्ट अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया गया है।

माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती दीक्षांत (बीसवां) समारोह के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के मंच पर आसीन होने के लिए अतिरिक्त परिनियम-1 की कंडिका-10 के अंतर्गत प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

ADDITIONAL STATUTE NO. 1

CONVOCATION

(Refer Section 35(f))

(Proposed by the Executive Council at its meeting held on 13-8-76 and approved by the Co-ordination at its meeting held on 29-1-77)

1. A convocation for the purpose of conferring Post-graduate Degrees and making awards shall ordinarily be held every year in the month of December at the Head Quarters of the University and shall be called Annual Convocation. A Special Convocation may also be held at such time as may be found necessary or convenient. The actual date of the convocation in each case shall be fixed by the Kulpati with the approval of the Kuladhipati.
2. Ordinarily not less than four weeks notice shall be given by the Registrar for holding a convocation. This period may however, be reduced to 10 days in the case of Special Convocation or in any other case where such a course is considered expedient by the Kulpati.
3. The candidates desiring to receive degree in person must apply to the Registrar 15 clear days before the date fixed for the convocation in the prescribed form together with a fee of Rs. 5/- intimating their intention to be present at the convocation. Provided that the Kulpati may in special cases permit the receipt of late applications up to seven days before the date of convocation, if such applications are accompanied by a late fee of Rs. 5/-.
4. Such candidates as are unable to present themselves in person at the convocation may apply for receiving their degrees in absentia in the prescribed form one month after the date of convocation alongwith a fee of Rs. 10/- and postal charges of Rs. 3/-.
5. Every degree shall bear the signature of the Kulpati. The date on the degrees, whether to be awarded at the convocation or otherwise, will be the same as the date of the University convocation.
6. The Kuladhipati, Kulpati, Deans of Faculties, members of the Executive Council, Academic Council, Court and the Registrar shall wear the academic costumes of the University of which they are graduates or the gowns or any other costumes prescribed by the Executive Council.
7. Candidates at the convocation shall put on the academic robe prescribed by the Executive Council and no candidate shall be admitted to the convocation without the academic robe prescribed by the University.
8. Degrees will be distributed to the candidates attending the convocation at the place, time and day specified by notification before or after the convocation as decided by the University.

9. The Kuladhipati, the Kulpati, the Deans of the Faculties, members of the Court, Executive Council and Academic Council and the Registrar shall assemble at a place notified, at the appointed hour and shall walk in procession in the following order to the convocation ground :-

- 1) The Registrar
- 2) Members of the Academic Council
- 3) Members of the Court
- 4) Members of the Executive Council
- 5) Deans of Faculties
- 6) The Kulpati
- 7) The Chief Guest, if any
- 8) The Kuladhipati.

10. The Kuladhipati, the Chief Guest, the Kulpati, the Chief Minister, the Education Minister, Deans of the Faculties, members of the Executive Council, the Registrar and such other persons named by the Executive Council shall take their seats on the Dias and the members of the Court and the Academic Council on both sides of the Dias in places reserved for them.

11. The candidates present at the convocation shall take their seats at the places reserved for them before the procession enters in the convocation pandal. As the procession enters the convocation pandal, all those present shall rise and remain standing until the members of the procession have taken their respective seats.

12. The Registrar shall declare the convocation open with the permission of the Kuladhipati or in his absence with the permission of the Kulpati. On a request from the Kulpati the Kuladhipati and in the absence of the Kuladhipati the Kulpati will permit the candidates to be presented. The following shall be the order of the presentation :-

- 1) Honorary Degrees, if any
- 2) D.Litt.
- 3) D.Sc.
- 4) Ph.D.
- 5) LL.D.
- 6) Post-graduates

Degrees in the following Faculties :-

- 1) Faculty of Arts
- 2) Faculty of Social Science
- 3) Faculty of Science
- 4) Faculty of Life Science
- 5) Faculty of Engineering
- 6) Faculty of Law
- 7) Faculty of Commerce
- 8) Faculty of Education
- 9) Faculty of Physical Education
- 10) Faculty of Home Science

- 11) Faculty of Technology
- 12) Faculty of Ayurved
- 13) Faculty of Medicine.

13. The Deans of their respective faculties shall present all the candidates for various degrees under the faculty and the Kulpati shall admit the candidates present also in absentia to the degrees concerned. The Citation for the Deans of the faculties and the Kulpati shall be as prescribed by the Executive Council. Recipients of the degrees shall remain standing while the Dean and the Kulpati admits the candidates to the degree.

14. In the case of conferment of Honorary Degrees the citation admitting the recipient to the degree may be modified by the Kuladhipati in a suitable manner. After the degrees have been conferred, the Registrar shall declare the number of the degrees/diplomas that have been conferred on regular and private candidates present at the convocation and also in absentia.

15. The Kuladhipati or in his absence the Kulpati shall then present the medals and prizes to the recipients of the medals and prizes who shall be called individually by the Registrar and shall stand before the Kuladhipati or the Kulpati as the case may be. The names of the recipients shall be read out by the Registrar.

16. The Kuladhipati or in his absence the Kulpati shall then request the Chief Guest to address the convocation.

17. The convocation address will thereafter be delivered. The Registrar, with the permission of the Kuladhipati and in his absence with the permission of the Kulpati, will then declare the convocation closed and the procession will leave the convocation hall. All shall remain standing till the procession moves out of the arena.

18. Notwithstanding any thing contained in the Statute the Kuladhipati may suspend holding of the annual convocation or convocations. In such case the degrees will be sent to the candidates duly signed by the Kulpati at their addresses. The Registrar shall notify the suspension of the convocation and invite applications from the candidates who desire to take the degree and shall fix the last date for receipt of such applications. The degrees will be sent to those candidates who have applied for obtaining the degrees on payment of a fee of Rs.5/- plus postal charges i.e. Rs.3/-. The candidates who do not apply within due date for obtaining degrees shall be given degrees as in the case of absentia and the fee fixed for degrees in absentia shall be charged. The dates on such degrees shall be the date fixed by the Kulpati on the recommendation of the Standing Committee of the Academic Council.

Sahu/24577